न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

रा.अ.प्र.क्र.—202502260300040/अ—62/2024—25

साकिन बसदेई, तहसील सूरजपुर

जॉली टॉमी, प्राचार्य,
जवाहर नवोदय विद्यालय बसदेई, तहसील
सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

............आवेदक

प्रति,

छ.ग. शासन ....अनावेदक

//आदेश//

(पारित दिनांकः— 6 /3 /2025)

यह प्रकरण आवेदिका जॉली टॉमी, प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय बसदेई, तहसील सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) के द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय बसदेई के विद्यालय परिसर, छात्रावासों, मेस व शिक्षकों के क्वाटरों के आस—पास के बहुत सारे वृक्ष सूख जाने के कारण जो कभी भी गिर सकते है, जिसके कारण इमारतें क्षतिग्रस्त हो सकती है। विद्यालय भवन व छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को भी दुर्घटना की संभावना होने से सूखे हुए वृक्षों की कटाई व छटनी कराने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर प्रारम्भ किया गया।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र राजस्व एवं वन विभाग से प्रतिवेदन लिया गया। राजस्व निरीक्षक बसदेई एवं वन विभाग ने अपने संयुक्त जांच प्रतिवेदन दिनांक— 06.02.2025 में उल्लेख किया है कि उक्त के संबंध में स्थल निरीक्षण किया गया, मौके पर नवोदय विद्यालय बसदेई के स्टाफ रामधनी राजवाड़े (प्रयोगशाला परिचारक) के साथ सूखे वृक्षों का निरीक्षण स्थल पर जाकर किया गया। निरीक्षण में मौके पर शीशम के वृक्ष पाया गया। जिसमें छाती तक गोलाई में औसत 152 से.मी. तक का 57 नग सूखा शीशम पेड़ पाया गया।

3. राजस्व निरीक्षक एवं वन विभाग के द्वारा अपने प्रतिवेदन साथ ग्राम बसदेई, तहसील सूरजपुर का खसरा पंचशाला संलग्न किया गया है। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि ग्राम बसदेई स्थित खसरा नम्बर 3614/2 रकबा 12.1400 हे. भूमि में मौके पर 57 नग सूखे शीशम के वृक्ष पाये गये। छ.ग. राजपत्र (असाधारण) के अधिसूचना दिनांक—11 फरवरी 2022 के कण्डिका 08 रोपित वृक्षों की कटाईः—(1) छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, भूमिस्वामी अपने खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधार पर करवा सकेगा।''

अतएव आवेदिका जॉली टॉमी, प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय बसदेई, तहसील सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) को विद्यालय परिसर, छात्रावासों, मेस व शिक्षकों के क्वाटरों एवं छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को भी दुर्घटना/जनहानि होने की संभावना होने से जनहित में ग्राम बसदेई स्थित भूमि खसरा नम्बर 3614/2 रकबा 12.1400 हे. भूमि पर स्थित 57 नग सूखे शीशम वृक्षों को काटे जाने एवं छटनी किये जाने की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन छ.ग. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 240, 241 व छ.ग. राजपत्र (असाधारण) के अधिसूचना

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

दिनांक 11 फरवरी 2022 में दिये गये प्रावधानों के एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 152 के तहत् प्रदान की जाती है।

3.2 शर्तेः–

(एक) वृक्षों की कटाई, छत्तीसगण वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, भूमिस्वामी वृक्षों की कटाई कर सकेगा।

(2) भूमिस्वामी द्वारा लिखित में इच्छा व्यक्त किए जाने पर उसके खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा की जा सकेगी। आवेदन प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर, वन मण्डाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सूनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित करेंगे एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जायेगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 06 फिट के वृक्ष रोपित किये जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अधोहस्तक्षरकर्ता के माध्यम से कलेक्टर महोदय को दी जायेगी।

आज दिनांक–6 / 3 /2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा सहित आदेश खुले न्यायालय में पारित एवं उद्घोषित्।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)
सूरजपुर, दिनांक 06 / 03 / 2025

पृ.क्र. /2222/ वाचक–1 / 2025
प्रतिलिपि,

1. **वनमण्डाधिकारी, सूरजपुर , जिला सूरजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**
2. **तहसीलदार सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**
3. **आवेदिका जॉली टॉमी, प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय बसदेई, तहसील सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)**

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)